चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). भाद्रपद मास अमावस्या मेला के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जनपद चित्रकूट में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा मेला क्षेत्र एवं प्रमुख पार्किंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा रामघाट, रामसैया, रैन बसेरा सीतापुर, बेड़ीपुलिया पार्किंग एवं शिवरामपुर पार्किंग का निरीक्षण कर मौके पर की गई सुरक्षा, यातायात एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन एवं भीड़ नियंत्रण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आवागमन के मार्ग, भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग, पार्किंग, यातायात संचालन एवं सुरक्षा ड्यूटी की व्यवस्थाओं को देखा गया। अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा यातायात व्यवस्था सुचारु एवं प्रभावी रूप से संचालित की जाए।
पार्किंग स्थलों के निरीक्षण के दौरान वाहनों के व्यवस्थित आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही वन-वे/डायवर्जन व्यवस्था, यातायात नियंत्रण एवं पार्किंग स्थलों से मेला क्षेत्र तक श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाए रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों को पूर्ण सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करने तथा श्रद्धालुओं के साथ विनम्र व्यवहार करते हुए उनकी हरसंभव सहायता करने के निर्देश दिए गए। महिला श्रद्धालुओं एवं बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए भी निर्देशित किया गया।
भाद्रपद मास अमावस्या मेला को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस एवं प्रशासन द्वारा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, प्रभावी यातायात प्रबंधन, सतत निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मेला क्षेत्र में लगातार भ्रमण एवं निगरानी की जा रही है।

(1). उ0नि0 श्री राजेश कुमार मय हमराह आरक्षी कृष्णकान्त कोतवाली कर्वी द्वारा अपराध संख्या 2885/20 धारा 498A,406 भादवि व ¾ डीपीएक्ट के वारण्टी अभियुक्त कल्लू गुप्ता पुत्र शिवपाल गुप्ता निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह कटियार मय हमराह आरक्षी अभिषेक थाना राजापुर द्वारा मु0सं0 810/16 धारा 25 ए एक्ट वारंटी अभियुक्त दीपक बाजपेई पुत्र रामनरेश बाजपेयी निवासी कस्बा मंडी कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।